झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 7422 / 2017

अमिय घोष, पुत्र स्वर्गीय गुरुपदो घोष, निवासी गांव- सुखजोरा, डाकघर-सुखजोरा, थाना-रानीश्वर, ब्लॉक-रानीश्वर, जिला-दुमका (झारखंड) **..... याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, दुमका, डाकघर, थाना और जिला- दुमका (झारखंड)
3. मृदा संरक्षण अधिकारी, दुमका, डाकघर, थाना और जिला- दुमका (झारखंड)
4. प्रखंड कृषि अधिकारी, डाकघर-रानेश्वर, थाना और जिला- दुमका (झारखंड)
5. जन सेवक/प्रखंड सहकारिता अधिकारी, दुमका, डाकघर, थाना और जिला-दुमका (झारखंड)

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मनोज कुमार संख्या 4, एडवोकेट
प्रतिवादी-राज्य की ओर से: श्री उत्तम कुमार दास, एसी से जी.पी.V।

प्रस्तुत

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3, जो कि उपायुक्त, दुमका और मृदा संरक्षण अधिकारी, दुमका हैं, को आदेश/निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया है, ताकि वे खाता संख्या 64 के अंतर्गत 30'x30'x10' आकार के डोभा निर्माण के लिए 24,865/- रुपये का तत्काल भुगतान करें, जो प्लॉट संख्या 939 के अनुरूप है, जिसे याचिकाकर्ता ने 08.06.2016 को जेसीवी और पोकलेन मशीन का उपयोग करके "बनाओ अभियान" के लाभार्थी के लिए पूरा किया है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता एक लाभुक होने के नाते, सुखजोरा गांव, प्रखंड रानेश्वर, जिला दुमका में सिंचाई के उद्देश्य से डोभा निर्माण का कार्य आवंटित किया गया था और 08.06.2016 को उत्पन्न योजना के अनुसार निर्माण पूरा हो गया है और निर्माण शुरू होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रानेश्वर ने प्रतिवादी संख्या 3 से लाभार्थी को भुगतान के लिए पहली किस्त जारी करने का अनुरोध किया और काम पूरा होने के बाद, लाभुक को 26.06.2016

को दर्शाए गए नक्शे के साथ 'डोभा पूरा होने' का प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी थी, जिसे इस रिट याचिका के अनुलग्नक 1 और 2 के रूप में संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से अभ्यावेदन के माध्यम से संपर्क किया लेकिन उस पर अभी तक विचार नहीं किया गया, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने बिना स्वीकृति के खाता संख्या 64, प्लॉट संख्या 939 पर डोभा का निर्माण कराया है। याचिकाकर्ता ने पहली बार पत्र के माध्यम से प्रथम किस्त की मांग की थी तथा भूमि संरक्षण पदाधिकारी, दुमका ने सभी संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को 16.06.2016 तक प्रथम किस्त का भुगतान करने का विशेष निर्देश दिया था, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई आवेदन नहीं किया था तथा बिना स्वीकृति के डोभा का निर्माण कराया था, इसलिए भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने झारखंड सरकार के भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक, रांची को पत्र लिखकर राशि आवंटित करने की मांग की है तथा राशि उपलब्ध होने पर तदनुसार भुगतान किया जाएगा।

4. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने दावे के अनुसार डोभा का निर्माण किया है और वह 24,865/- रुपए का हकदार है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से स्पष्ट है कि एकमात्र कारण यह है कि चूंकि निधि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार न करने का कोई उचित कारण नहीं है।

5. उपर्युक्त निर्विवाद तथ्यों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को 24,865/- रुपये का भुगतान करें।

6. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 , जनवरी 2024
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।